

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-30

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

कोयला और बिजली संकट

*30. श्री जवाहर सरकार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के विद्युत उत्पादन कंपनियों (जीईएनसीओएस) को अधिक महंगा कोयला आयात करने संबंधी दिनांक 18 मई, 2022 के आदेश के मद्देनजर कोयले का घरेलू उत्पादन उनकी मांग की तुलना में कम है;
- (ख) क्या उन जीईएनसीओएस हेतु बिल बनाने और भुगतान हेतु बिजली खरीद समझौता आधारित तंत्र और अनंतिम बिल के 15 प्रतिशत का अनिवार्य भुगतान उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ नहीं डाल रहा है; और
- (ग) वर्ष 2017-22 के दौरान विभिन्न स्रोतों यथा सरकारी, निजी और आबद्ध के साथ-साथ गैर-नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पन्न करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इस संदर्भ में क्या उपलब्धियां रहीं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“कोयला और बिजली संकट” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : गत कई वर्षों से ब्लैंडिंग हेतु, कोयले की उच्च ऊष्मीय मान के कारण, कोयले का आयात किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में, यह 21.4 मिलियन टन (एमटी) था तथा वर्ष 2019-20 में बढ़कर 29.8 एमटी हो गया है। भारत सरकार ने जेनकोज़ को आयात घटाने तथा घरेलू कोयले पर अधिक से अधिक आश्रित रहने की सलाह दी थी; तथा वर्ष 2021-22 में ब्लैंडिंग हेतु आयात 8.3 एमटी तक घट गया। अप्रैल, 2021 के दौरान 59.1 एमटी की तुलना में, लगभग 11% की वृद्धि दर्ज करते हुए, अप्रैल, 2022 के दौरान, 65.5 एमटी घरेलू कोयले की खपत हुई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2022) के दौरान घरेलू कोयले की आवश्यकता पिछले वर्ष की इसी अवधि से लगभग 20% अधिक होना प्रस्तावित है।

ताप विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले की उच्च मांग और मानदंडों की तुलना में संयंत्रों में कोयले के स्टॉक के स्तर पर विचार करते हुए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने मानसून के शुरू होने से पहले न्यूनतम आवश्यक कोयला स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 28.04.2022 को उत्पादन कंपनियों को अपनी आवश्यकता के @10% आयातित कोयले के साथ ब्लैंडिंग करने हेतु एडवाइजरी जारी की है, ताकि मानसून अवधि के दौरान कोयले की घरेलू आपूर्ति कम होने पर उनकी मांग पूरी करने के लिए विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

अब घरेलू कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो गई है। वर्ष 2021-2022 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन (सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए) वर्ष 2020-2021 में 716.083 मिलियन टन (एमटी) की तुलना में 778.19 एमटी था। वर्तमान वित्तीय वर्ष (जून, 2022 तक) में, देश में पिछले वर्ष की इसी

अवधि के दौरान 156.11 एमटी की तुलना में 204.876 एमटी कोयले का उत्पादन हुआ। तथापि, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था के विकास तथा सौभाग्य के अंतर्गत जुड़े 28.6 मिलियन नए उपभोक्ताओं और साथ ही साथ पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के कारण विद्युत की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। इससे आयात करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

(ख) : 15% का भुगतान वितरण लाइसेंसधारक द्वारा किया जाना है और विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत वे समय से भुगतान के लिए छूट प्राप्त करते हैं। 15% की अनंतिम बिलिंग और भुगतान भी अंतिम बिलिंग के दौरान मिलान तथा पीपीए के अनुसार मासिक आधार पर भुगतान के अधीन है और तुरंत भुगतान छूट से उपभोक्ताओं पर बोझ घटेगा।

(ग) : वर्ष 2017-2022 और वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) की अवधि के दौरान 25 मेगावाट और उससे अधिक के विद्युत स्टेशन यूटिलिटियों के गैर-नवीकरणीय (पारंपरिक) स्रोतों (ताप, न्यूक्लियर और जलविद्युत) से उत्पादन के क्षेत्र-वार लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

अनुबंध-1

“कोयला और बिजली संकट” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 30 के विवरण के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

श्रेणी	क्षेत्र	30.06.2022 तक निगरानी क्षमता मेगावाट	उत्पादन 2017-18 (एमयू)		उत्पादन 2018-19 (एमयू)		उत्पादन 2019-20 (एमयू)		उत्पादन 2020-21 (एमयू)		उत्पादन 2021-22 (एमयू)		उत्पादन 2022-23 (जून-2022 तक) (एमयू)	
			कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक
थर्मल	केंद्रीय क्षेत्र	74928	340149	356170	352307	368157	375451	351167	369543	363366	366595	414624	107575	119976
	राज्य क्षेत्र	75275	339094	320697	350620	334961	374986	309668	375900	290403	388240	336515	111710	102689
	निजी क्षेत्र	2929	18546	18804	18576	19128	18231	17698	18752	15090	17485	16963	4688	5050
	आईपीपी क्षेत्र	82947	344239	341388	369997	349978	373462	364215	374338	363654	382880	346612	100085	97910
कुल थर्मल		236078	1042028	1037059	1091500	1072224	1142130	1042748	1138533	1032514	1155200	1114714	324058	325625
न्यूक्लियर	केंद्रीय क्षेत्र	6780	40972	38346	38500	37813	44720	46472	43880	43029	43020	47112	10530	10860
कुल न्यूक्लियर		6780	40972	38346	38500	37813	44720	46472	43880	43029	43020	47112	10530	10860
हाइड्रो	केंद्रीय क्षेत्र	15665	55028	55036	56176	55155	56617	62629	57840	60624	61044	58422	16521	16657
	राज्य क्षेत्र	27247	73005	56989	61106	66171	66805	78298	68768	75730	74198	78792	17204	17314
	निजी क्षेत्र	447	1450	1516	1300	1568	1441	1488	1470	1525	1470	1590	376	371
	आईपीपी क्षेत्र	3484	11917	12582	11418	11999	12069	13354	12279	12421	12832	12823	4120	3929
कुल हाइड्रो		46843	141400	126123	130000	134894	136932	155769	140357	150300	149544	151627	38221	38272
भूटान से आयात	आईएमपी	0	5000	4778	5000	4407	6218	5794	7230	8766	8236	7493	2036	1724
कुल योग		289701	1229400	1206306	1265000	1249337	1330000	1250784	1330000	1234608	1356000	1320947	374845	376481

* अनंतिम आधार पर वास्तविक-सह-मूल्यांकन

टिप्पणी: केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के ईंधन स्रोत के (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) स्टेशनों से सकल उत्पादन।

अनुबंध-II

“कोयला और बिजली संकट” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 30 के विवरण के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का वर्ष-वार विवरण	
वर्ष	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (एमयू)
2017-18	101839
2018-19	126759
2019-20	138337
2020-21	147248
2021-22	170912
2022-23 (मई, 2022)	35990

* सीईए द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-289

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम

289. श्री बृजलाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 'ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस' नामक एक नया नियम अधिसूचित किया है, यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) इस योजना से आम उपभोक्ता के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत बिजली की दर निर्धारित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) अब तक देशभर में यह सुविधा किन-किन शहरों या क्षेत्रों में आरंभ की गई है और उनके लिए अब तक कितने उपभोक्ताओं ने आवेदन किया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हाँ। विद्युत मंत्रालय ने सभी के लिए वहनीय, विश्वसनीय, स्थिर तथा हरित ऊर्जा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हमारे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में और तेजी लाने के लिए दिनांक 06.06.2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। खुली पहुँच कारोबार सीमा को 1 मेगावाट से कम करके 100 किलोवाट करने से और क्रॉस सब्सिडी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, स्टैंडबाई प्रभार के उचित प्रावधानों से आम उपभोक्ताओं को उचित दरों पर हरित विद्युत प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि इस नियम में खुली पहुँच की बढ़त रोकने वाले अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया है, अतः अब आम उपभोक्ता आसानी से नवीकरणीय विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं तथा आम उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, टैरिफ का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाता है। तदनुसार, हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूलबद्ध विद्युत क्रय लागत, क्रॉस सब्सिडी प्रभार, यदि कोई हो, और उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण लाइसेंसी की उचित लागत शामिल करते हुए सेवा प्रभार शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय ने इन नियमों के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो हरित ऊर्जा खुली पहुँच प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिए दिनांक 08 जुलाई, 2022 को पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन (पोसोको) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय पोर्टल पूरे देश में उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करेगा।

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 289 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

- क. ये नियम वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, क्रय तथा खरीद के लिए अधिसूचित किए गए हैं।
- ख. किसी भी उपभोक्ता को हरित खुली पहुँच की अनुमति है और हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुँच कारोबार की सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दिया गया है ताकि छोटे उपभोक्ता भी खुली पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की खरीद कर सकें।
- ग. उपभोक्ता डिस्कॉमों से हरित ऊर्जा की आपूर्ति की मांग करने के हकदार हैं। डिस्कॉम हरित ऊर्जा की खरीद और पात्र उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति के लिए बाध्य होंगे।
- घ. ये नियम खुली पहुँच प्रदान करने के लिए समय अनुमोदन प्रक्रिया को भी कारगर बनाएंगे। राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से खुली पहुँच के आवेदन के साथ-साथ अनुमोदन में एकरूपता और पारदर्शिता लाते हुए समयबद्ध प्रक्रिया अधिदेशित की गई है। हरित खुली पहुँच का अनुमोदन 15 दिन में प्रदान करना होगा अन्यथा यह माना जाएगा कि अनुमोदन कर दिया गया है।
- ङ. वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक आधार पर हरित विद्युत की खरीद की अनुमति दी गई है।
- च. हरित ऊर्जा खुली पहुँच उपभोक्ताओं पर निश्चित रूप से खुली पहुँच प्रदान करने का प्रभार लगाया जाएगा जिसमें पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, क्रॉस सब्सिडी अधिभार तथा स्टैंडबाई प्रभार शामिल हैं। क्रॉस सब्सिडी अधिभार बढ़ाने की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार हटाने से उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा अपनाने हेतु प्रोत्साहन मिलता है।
- छ. किसी वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में सभी बाध्य कंपनियों के संबंध में, एकसमान नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) होगा। इस आरपीओ की पूर्ति के लिए, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया को भी शामिल किया गया है।
- ज. यदि उपभोक्ता हरित विद्युत का उपभोग करते हैं तो हरित प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-311

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

बिजली की मांग और आपूर्ति का आकलन

311. श्री राघव चड्ढा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने बिजली की आपूर्ति और मांग का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2022 में देश में बिजली की प्राक्कलित आवश्यकता कितनी है;
- (ग) देश में मौजूदा और चल रही परियोजनाओं से कितनी बिजली उपलब्ध होने की संभावना है;
- (घ) क्या सरकार ने बिजली की कमी की पूर्ति करने के लिए नई बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों के दौरान स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत की आपूर्ति और मांग का मूल्यांकन किया है। सीईए द्वारा प्रकाशित भार उत्पादन संतुलन रिपोर्ट (एलजीबीआर) 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए देश में 1549,597 मिलियन यूनिट की मूल्यांकित ऊर्जा उपलब्धता की तुलना में मूल्यांकित की गई अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता 1,505,198 मिलियन यूनिट (एमयू) है।

भार उत्पादन संतुलन रिपोर्ट (एलजीबीआर) 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान देश में विद्युत की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र/क्षेत्र-वार अनुमानित मांग और मौजूदा तथा चल रही परियोजनाओं से उपलब्ध होने वाली संभावित विद्युत की मात्रा के ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है और कोई उत्पादन कंपनी ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति केवल जलविद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना के मामले में अपेक्षित है।

निर्माणाधीन पारंपरिक ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी), जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) तथा न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं के परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-II, अनुबंध-III और अनुबंध-IV पर दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 311 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2022-23 के लिए देश में मौजूदा और चल रही परियोजनाओं से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र-वार विद्युत की अनुमानित आवश्यकता और उपलब्ध होने की संभावित विद्युत की मात्रा के ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष (+)/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,610	1,680	(+) 70	(+) 4.3
दिल्ली	35,580	29,610	(-) 5,970	(-) 16.8
हरियाणा	61,820	59,330	(-) 2,490	(-) 4.0
हिमाचल प्रदेश	11,770	14,330	(+) 2,560	(+) 21.8
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश	20,490	17,140	(-) 3,350	(-) 16.3
पंजाब	65,830	67,870	(+) 2,040	(+) 3.1
राजस्थान	104,280	104,010	(-) 270	(-) 0.3
उत्तर प्रदेश	147,390	151,050	(+) 3,660	(+) 2.5
उत्तराखंड	14,450	12,830	(-) 1,620	(-) 11.2
उत्तरी क्षेत्र	463,220	457,850	(-) 5,370	(-) 1.2
छत्तीसगढ़	34,293	35,358	(+) 1,066	(+) 3.1
गुजरात	137,555	143,428	(+) 5,873	(+) 4.3
मध्य प्रदेश	94,655	103,999	(+) 9,344	(+) 9.9
महाराष्ट्र	178,257	190,247	(+)11,990	(+) 6.7
दमन और दीव	2,820	2,820	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	8,950	8,950	0	0.0
गोवा	4,560	5,153	(+) 593	(+)13.0
पश्चिमी क्षेत्र	461,090	489,955	(+)28,865	(+) 6.3
आंध्र प्रदेश	73,438	74,505	(+) 1,067	(+) 1.5
कर्नाटक	81,549	98,933	(+)17,384	(+)21.3
केरल	28,204	26,550	(-) 1,654	(-) 5.9
तमिलनाडु	119,789	122,319	(+) 2,530	(+) 2.1
तेलंगाना	80,899	76,038	(-) 4,861	(-) 6.0
पुदुचेरी	3,145	3,545	(+) 400	(+)12.7
दक्षिणी क्षेत्र	387,024	402,852	(+)15,828	(+) 4.1
बिहार	41,102	45,136	(+) 4,034	(+) 9.8
दामोदर घाटी निगम	23,959	22,385	(-) 1,574	(-) 6.6
झारखंड	11,680	10,750	(-) 930	(-) 8.0
ओडिशा	39,000	40,487	(+) 1,487	(+) 3.8
पश्चिम बंगाल	59,118	57,637	(-)1,481	(-) 2.5
सिक्किम	661	1,368	(+) 707	(+)107.0
पूर्वी क्षेत्र	175,520	177,764	(+) 2,244	(+) 1.3
अरुणाचल प्रदेश	851	1,373	(+) 521	(+)61.2
असम	11,244	11,400	(+) 156	(+) 1.4
मणिपुर	1,041	1,334	(+) 294	(+)28.2
मेघालय	2,216	2,882	(+) 667	(+)30.1
मिजोरम	706	974	(+) 268	(+)38.0
नागालैंड	872	1,167	(+) 296	(+)33.9
त्रिपुरा	1,577	2,932	(+)1,355	(+)85.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	18,344	21,176	(+)2,832	(+)15.4
अखिल भारत	1,505,198	1,549,597	(+)44,399	(+) 2.9

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन पारंपरिक ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) का परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
	बिहार			
1	बाढ़ एसटीपीपी-I (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू-2	660
2	बाढ़ एसटीपीपी-I (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू -3	660
3	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केंद्रीय	यू-1	660
			यू-2	660
	उप-जोड़: बिहार			2640
	तेलंगाना			
4	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I, (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू-1	800
			यू-2	800
5	यादाद्री टीपीएस (टीएसजैको)	राज्य	यू-1	800
			यू-2	800
			यू -3	800
6	यादाद्री टीपीएस	राज्य	यू-4	800
7	यादाद्री टीपीएस	राज्य	यू-5	800
	उप-जोड़: तेलंगाना			5600
	झारखंड			
8	नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी, (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू-1	660
9	नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू-2	660
			यू-3	660
10	पतरातू एसटीपीपी	केंद्रीय	यू-1	800
11	पतरातू एसटीपीपी	केंद्रीय	यू-2	800
12	पतरातू एसटीपीपी	केंद्रीय	यू-3	800
	उप-जोड़: झारखंड			4380
	आंध्र प्रदेश			
13	डॉ. नरला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V (एपीजैको)	राज्य	यू-1	800
14	श्री दामोदरन संजीवैया टीपीपी स्टे.-II (एपीपीडीसीएल)	राज्य	यू-1	800
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश			1600
	कर्नाटक			
15	येलहंका सीसीपीपी (केपीसीएल)	राज्य	जीटी+एसटी	370
	उप-जोड़: कर्नाटक			370
	उत्तर प्रदेश			
16	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केंद्रीय	यू-1	660
			यू-2	660
			यू -3	660
17	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	यू-1	660
18	जवाहरपुर एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	यू-1	660
			यू-2	660

19	ओबरा-सी एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	यू-1	660
			यू-2	660
20	पनकी टीपीएस एक्सटेंशन (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	यू-1	660
21	खुर्जा एससीटीपीपी	केंद्रीय	यू-2	660
	उप-जोड़: उत्तर प्रदेश			6600
	तमिलनाडु			
22	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I (टेनजेडको)	राज्य	यू-1	660
23	एन्नोर एससीटीपीपी (टेंजेडको)	राज्य	यू-1	660
24	एन्नोर एससीटीपीपी	राज्य	यू-2	660
25	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I (टेनजेडको)	राज्य	यू-2	660
26	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	राज्य	यू-1	800
27	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	राज्य	यू-2	800
28	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III (टेनजेडको)	राज्य	यू-1	800
	उप-जोड़: तमिलनाडु			5040
	महाराष्ट्र			
29	भुसावल टीपीएस (महाजेनको)	राज्य	यू-6	660
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			660
	पश्चिम बंगाल			
30	सागरदिघी थर्मल पावर प्लांट फेज-III	राज्य	यू-1	660
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			660
	कुल			27550

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन पारंपरिक जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्रम सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	ज़िला	संस्थापित क्षमता (संख्या x मेगावाट)	निष्पादनाधीन	नदी/बेसिन
	(निष्पादक एजेंसी)				क्षमता (मेगावाट)	
	आंध्र प्रदेश					
1	पोलावरम (एपीजेको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	राज्य	पूर्व और पश्चिम गोदावरी	12x80	960.00	गोदावरी/ईएफआर
2	पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	निजी	कुरनूल	4x240+2x120	1200.00	पेन्नार बेसिन
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश				2160.00	
	अरुणाचल प्रदेश					
3	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)#	केंद्रीय	लोअर सुबानसिरी	8x250	2000.00	सुबानसिरी/ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश				2000.00	
	असम					
4	लोअर कोपिली (एपीजीसीएल)	राज्य	दीमा हसाओ और कार्बी आंगलॉग	2x55+2x2.5+1 x5	120.00	कोपिलि
	उप-जोड़: असम				120.00	
	हिमाचल प्रदेश					
5	पार्वती स्टे-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	कुल्लू	4x200	800.00	पार्वती / ब्यास / सिंधु
6	लुहरी-I (एसजेवीएन)	केंद्रीय	कुल्लू/शिमला	2x80+2x25	210.00	सतलुज/सिंधु
7	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	केंद्रीय	हमीरपुर/कांगड़ा	2x33	66.00	ब्यास
8	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	मंडी	3x33.33	100.00	उहल/ब्यास/सिंधु
9	शॉगटॉग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	किन्नौर	3x150	450.00	सतलुज/सिंधु
10	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	किन्नौर	100.00	100.00	टिडोंग/सतलुज/सिंधु
1 1	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	निजी	चंबा	3x80	240.00	रावी / सिंधु
12	तंगनु रोमाई (टीआरपीजी)	निजी	शिमला	2x22	44.00	पब्वर/टन/यमुना/गंगा
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश				2010.00	
	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर					
13	पकल दुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x250	1000.00	मरुसदर/ चिनाब/सिंधु
14	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	पूंछ	3x12.5	37.50	झेलम/सिंधु
15	किरू (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x156	624.00	चिनाब/सिंधु
16	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	किश्तवाड़	2x24	48.00	चिनाब/सिंधु
17	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x205 + 1x30	850.00	चिनाब/सिंधु
18	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x135	540.00	चिनाब
	उप-जोड़: जम्मू और कश्मीर				3099.50	
	केरल					
19	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	इडुक्की	2x30	60.00	मुदिरापुझा/पेरियार/बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर

20	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	इडुक्की	1x30+1x10	40.00	थोटियार/पेरियार/बेपोर पेरियार / डब्ल्यूएफआर
	उप-जोड़: केरल				100.00	
	मध्य प्रदेश	-	-			
21	महेश्वर (एसएमएचपीजीसीएल)	निजी	खरगोन और खंडवा	10x40	400.00	नर्मदा/सीआईआरएस
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश				400.00	
	महाराष्ट्र					
22	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	सतारा	2x40	80.00	कोयना/कृष्णा/ईएफआर
	उप-जोड़: महाराष्ट्र				80.00	
	पंजाब					
23	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	गुरदासपुर	3x33+3x33+1x 8	206.00	रावी / सिंधु
	उप-जोड़: पंजाब				206.00	
	सिक्किम					
24	तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	दक्षिण सिक्किम	4x125	500.00	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
25	रंगित-IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	पश्चिम सिक्किम	3x40	120.00	रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
26	भस्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	पूर्वी सिक्किम	2x25.5	51.00	रंगपो/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
27	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	पश्चिम सिक्किम	2x33	66.00	ग्रेटर रंगित/तीस्ता/ ब्रह्मपुत्र
28	पनन (हिमागिरी)	निजी	नॉर्थ सिक्किम	4x75	300.00	रंगयोंगचू/तीस्ता/ ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: सिक्किम				1037.00	
	तमिलनाडु					
29	कुंडाह पंप स्टोरेज फेज-I, II और III)	राज्य	नीलगिरी	4x125	500.00	कुंडाह/भवानी/कावेरी/ईएफ आर
	उप-जोड़: तमिलनाडु				500.00	
	उत्तराखंड					
30	विष्णुगढ़ पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x111	444.00	अलकनंदा/गंगा
31	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	उत्तरकाशी	2x30	60.00	टोंस/यमुना/गंगा
32	तपोवन विष्णुगढ़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x130	520.00	धौलीगंगा/अलकनंदा और/गंगा
33	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	टिहरी गढ़वाल	4x250	1000.00	भिलंगना/भागीरथी/ गंगा
34	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	3x57	171.00	धौलीगंगा/अलकनंदा और गंगा
35	फाटा ब्युंग (लैंको)	निजी	रुद्रप्रयाग	2x38	76.00	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा
	उप-जोड़: उत्तराखंड				2271.00	
	पश्चिम बंगाल					
36	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	दार्जिलिंग	3x40	120.00	रम्माम/रंगित/तीस्ता ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल				120.00	
	कुल:				14103.50	

परियोजना का एक हिस्सा असम के धेमाजी जिले में है।

अनुबंध-IV

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में 8,700 मेगावाट क्षमता के निर्माणाधीन न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रों के ब्यौरे

क्रम सं.	न्यूक्लियर संयंत्र का विवरण	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1.	पीएफबीआर नई इकाई 1	500	तमिलनाडु
2.	काकरापारा ए.पी.एस. यूनिट 3-4	1400	गुजरात
3.	राजस्थान यूनिट 7-8	1400	राजस्थान
4.	कुडनकुलम यूनिट 3-4	2000	तमिलनाडु
5.	गोरखपुर यूनिट 1-2	1400	हरियाणा
6.	कुडनकुलम यूनिट 5-6	2000	तमिलनाडु
	कुल:	8700 मेगावाट	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-312

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

बिजली आपूर्ति में कमी

312. श्री तिरुची शिवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2022 के प्रारंभ से अब तक, विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों, दोनों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रतिदिन औसत घंटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) 2022 की शुरुआत से अब तक विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती के राज्य-वार औसत घंटे कितने बनते हैं;
- (ग) क्या मंत्रालय ने निरंतर बिजली आपूर्ति के औसत घंटे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) समग्र विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा नेशनल पावर पोर्टल (एनीपीपी) पर दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मई, 2022 तक विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए विद्युत आपूर्ति के औसत घंटों और एक दिन में औसत कटौती (जिसमें पावर कट्स भी शामिल हैं) के राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत की आपूर्ति में बाधाएं आमतौर पर वितरण नेटवर्क के अवरोधों, अथवा कुछ वितरण कंपनियों के वित्तीय अवरोधों के कारण हैं जिनके पास विद्युत के लिए भुगतान करने के संसाधन नहीं हैं। सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने

सभी घरों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत वितरण स्कीम (आईपीडीएस) सहित अपनी विभिन्न पूर्ववर्ती स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता की है। विद्युत मंत्रालय ने अब संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है जिसका लक्ष्य राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के साथ-साथ 24X7 विद्युत आपूर्ति प्राप्त करना है।

(ड) : इस समय, देश में विद्युत की व्यस्ततम मांग 2,12,646 मेगावाट है, जिसकी तुलना में जून, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, 4,03,759.59 मेगावाट की संस्थापित उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। यह संस्थापित क्षमता देश की व्यस्ततम मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसके अतिरिक्त, देश में अगले कुछ वर्षों में समग्र विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमताओं को संयोजित करने का लक्ष्य है:

- i. **थर्मल:** वर्ष 2026-27 तक चालू करने के लिए 27,550 मेगावाट की कुल संयुक्त उत्पादन क्षमता की 39 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
- ii. **हाइड्रो:** 14,103.5 मेगावाट की कुल संयुक्त उत्पादन क्षमता की 36 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 312 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 08.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, शहरी तथा ग्रामीण फीडरों में एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे

क्रम सं.	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23 (मई, 2022 तक)	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	आंध्र प्रदेश	23.89	23.62	23.82	23.30
2	अरुणाचल प्रदेश	22.73 [#]			
3	असम	23.66 [#]		23.70 [#]	
4	बिहार	23.55	20.39	23.39	20.77
5	छत्तीसगढ़	23.81	21.25	23.83	21.61
6	दिल्ली	24.00 [#]		23.98 [#]	
7	गोवा	23.65 [#]			
8	गुजरात	23.96	23.50	23.96	23.76
9	हरियाणा	23.63	16.26	23.46	14.05
10	हिमाचल प्रदेश	23.90	13.26		14.05
11	जम्मू एवं कश्मीर	22.28 [#]		19.83 [#]	
12	झारखंड	23.31 [#]			
13	कर्नाटक	23.59	17.56	23.81	16.88
14	केरल	23.93	19.61	23.90	0.00
15	लद्दाख	23.81 [#]			
16	मध्य प्रदेश	23.88	19.35	23.98	22.70
17	महाराष्ट्र	23.99	23.16	23.99	23.93
18	मणिपुर	23.65 [#]			
19	मेघालय	23.93 [#]		23.95 [#]	
20	मिजोरम	23.86 [#]			
21	नागालैंड	23.45 [#]			
22	ओडिशा	23.65	23.02		0.00 [#]
23	पंजाब	23.68	22.11	23.51	0.00
24	राजस्थान	23.89	21.29	23.77	21.21
25	तमिलनाडु	23.98	22.15		
26	तेलंगाना	23.93	21.89	23.76	22.30
27	त्रिपुरा	23.90	19.93	23.90	19.21
28	उत्तर प्रदेश	23.52	15.90		
29	उत्तराखंड	23.61	21.56	23.53	21.16
30	पश्चिम बंगाल	23.81	23.48	23.80	23.38
31	अखिल भारत कुल	23.80	20.61	23.78	21.48

* एनपीपी पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार

[#]ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एनपीपी पर राज्यों का मानचित्रण नहीं किया जाता है

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-313

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

बिजली उत्पादन पर कोयले की कमी का प्रभाव

313. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले की कमी के कारण बिजली के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी नहीं। वास्तव में, कोयला आधारित उत्पादन वर्ष 2021-22 (अप्रैल-जून) के दौरान 256.7 बिलियन यूनिट (बीयू) से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) के दौरान 307.9 बिलियन यूनिट (बीयू) हो गया है अर्थात् लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) : केंद्र सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए, कि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि मांग पूरी की जा सके, एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति स्थापित की गई है। आईएमसी में सदस्यों के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं।
- (iii) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों को विद्युत की मांग की पूर्ति के लिए अपने विद्युत संयंत्र में कोयले की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने की सलाह दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-314

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने की नीति

314. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख शहरों के लिए एडवांस्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विनियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रोत्साहन योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विद्युत आवश्यकता और आने वाले वर्षों में विद्युत की अनुमानित मांग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विद्युत स्रोत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.01.2022 को चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित समेकित दिशा-निर्देश एवं मानक जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों और मानकों में यथा निर्धारित मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) के लिए की गई विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ सिंगल पार्ट टैरिफ होगा और यह 31 मार्च, 2025 तक "औसत आपूर्ति लागत" से अधिक नहीं होगा।
- डिस्कॉम विभिन्न क्षेत्रों में आगामी चार्जिंग अवसंरचना के कारण आवश्यक सामान्य अपस्ट्रीम नेटवर्क संवर्धन के लिए 'भाग क - वितरण अवसंरचना' के अंतर्गत संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) से वित्त पोषण का लाभ उठा सकते हैं। संशोधित स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से डिस्कॉमों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की लागत ईवी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के उपभोक्ताओं से प्रभारित नहीं की जाएगी।

- iii. हाउसिंग सोसायटियों, मॉल, कार्यालय परिसरों, रेस्तरांओं, होटलों आदि द्वारा आगंतुकों के वाहनों, जिन्हें परिसर में आने की अनुमति हो, की चार्जिंग सहित वाहनों की चार्जिंग हेतु सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं।
- iv. ऐसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो 100% आंतरिक/कैप्टिव उपयोग के लिए हैं, आवश्यकता के अनुसार चार्जिंग विशिष्टताओं के चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- v. डिस्कॉमों को 'विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020' में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुरूप पीसीएस के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निदेश जारी किए गए हैं।
- vi. पीसीएस के लिए कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के भीतर प्रदान किए जाएंगे। उपयुक्त आयोग उपर्युक्त वर्णित सीमा से कम समय-सीमा निर्दिष्ट कर सकता है।
- vii. कोई भी पीसीएस/चार्जिंग स्टेशनों की श्रृंखला भी खुली पहुंच के माध्यम से किसी भी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त कर सकती है। इस कार्य के लिए खुली पहुंच 15 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी।
- viii. दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना (पीसीआई) की आवश्यकता, लम्बी दूरी की ईवीज तथा/अथवा हैवी ड्यूटी ईवीज के लिए पीसीआई, पीसीएस के स्थान, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के डेटाबेस, ईवी पीसीएस को विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और पीसीएस पर सेवा प्रभार के ब्यौरे भी शामिल होंगे।
- ix. सरकारी/सार्वजनिक कंपनियों के पास उपलब्ध भूमि सरकारी/सार्वजनिक कंपनी को 1 रुपया/किलोवाट प्रति घंटा (चार्जिंग के लिए प्रयुक्त) की निश्चित दर पर राजस्व सहभागिता आधार पर प्रदान की जाएगी जिसका भुगतान भूमि स्वामित्व एजेंसी को, आरंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए, किया जाना है।

विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु, भारी उद्योग मंत्रालय भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम) स्कीम लागू कर रहा है। स्कीम का पहला चरण 895 करोड़ रुपये के परिव्यय से 01 अप्रैल, 2015 को शुरू किया गया था और फेम स्कीम का दूसरा चरण 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1 अप्रैल, 2019 से शुरू हुआ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा विद्युत वाहनों के लिए दो उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों शुरू की गई हैं। एक पीएलआई स्कीम ऑटो क्षेत्र के लिए शुरू की गई है जिसका घटक नामतः "चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम" है जो एक "बिक्री मूल्य संबद्ध" स्कीम है, जो सभी प्रकार के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों तथा हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों पर लागू है। 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय से एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए एक अन्य पीएलआई स्कीम भी शुरू की गई है।

(ग) : वर्ष 2031-32 के लिए मांग अनुमान हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीज) के लिए 69 बीयू (बिलियन यूनिट) की अनंतिम मांग पर विचार किया गया है।

(घ) : चार्जिंग स्टेशन डिस्कॉमों से कनेक्शन लेते हैं जो आगे ग्रिड से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति गैर-नवीकरणीय तथा नवीकरणीय दोनों स्रोतों से की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-315

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

स्थानीय बाजारों से विद्युत उपकरणों की खरीद

315. श्री संजीव अरोड़ा:

श्री के.सी. वेणुगोपाल

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ताप और पन विद्युत उत्पादकों के लिए स्थानीय बाजारों से विद्युत उपकरण खरीदना अनिवार्य कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) क्या ताप और पन विद्युत उत्पादकों को स्थानीय बाजारों से विद्युत उपकरण खरीदने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है;
- (ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि ये उपकरण स्थानीय बाजारों में उपलब्ध हो सकें; और
- (घ) क्या सरकार ने विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की एक योजना का भी प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने आय और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने और भारत में वस्तुओं के विनिर्माण और उत्पादन तथा सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) - (पीपीपी-एमआईआई), आदेश 2017 (और तदनंतर इसके संशोधन) जारी किए। यह भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने की दिशा में भी एक कदम है। डीपीआईआईटी के दिनांक 16.09.2020 के आदेश के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय ने भी विद्युत क्षेत्र के उपस्करों के संबंध में दिनांक 16.11.2021 को पीपीपी - एमआईआई आदेश जारी किए हैं और उन उपस्कर/सामग्री/संघटकों को दर्शाया है जिनके लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2022-23 से 2026-27 तक की पांच वर्ष की अवधि में 400 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ प्रायोगिक आधार पर विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने हेतु संयुक्त रूप से एक स्कीम शुरू की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-316

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

प्रधानमंत्री - सौभाग्य के तहत किए गए कार्य

316. श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - 'सौभाग्य' के तहत कराए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई; और
- (ग) उत्तर प्रदेश सहित देश में वर्तमान में विद्युतीकृत किए जा रहे गांवों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों ने सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है, जिसमें से, उत्तर प्रदेश ने 79,80,568 घरों का विद्युतीकरण किया है।

दिनांक 31.03.2019 के बाद, उत्तर प्रदेश ने इसके बाद अन्य 12,00,003 अतिरिक्त घरों का विद्युतीकरण किया है, जो पहले अनिच्छुक थे किंतु बाद में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। विशेष रूप से, सौभाग्य के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2019 के बाद, निधियों की संस्वीकृतियों, जारी करने तथा उपयोग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

अक्टूबर, 2017 में शुरू होने से सौभाग्य की मूल संस्वीकृत लागत	उत्तर प्रदेश को जारी अनुदान				प्रयोग की गई राशि
	2019-20	2020-21	2021-22	कुल	
6188	26	52	117	195	182

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, दिनांक 28.04.2018 को उत्तर प्रदेश सहित, देशभर के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव को विद्युतीकरण किया जा चुका है। भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई स्कीम अर्थात् संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, सौभाग्य से पहले, दिनांक 31.03.2019 से पहले चिह्नित, अब इच्छुक शेष गैर-विद्युतीकृत परिवारों, यदि कोई हों, के विद्युतीकरण के लिए दिनांक 12.03.2022 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-317

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन

317. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रत्येक घर के लिए बिजली उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्रोतों जैसे कोयला, परमाणु, प्राकृतिक गैस, जल-विद्युत, सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा का राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्तमान में, सभी उपभोक्ताओं, देश के घरेलू उपभोक्ताओं सहित की कुल विद्युत आवश्यकता को संस्थापित उत्पादन क्षमताओं के विभिन्न स्रोतों से पूर्ति की जाती है। देश में दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार स्रोत-वार वर्तमान उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है:

(मेगावाट में)

क. धर्मल	2,36,065.42
कोयला	2,10,699.50
गैस	24,856.21
डीजल	509.71
ख. न्यूक्लियर	6,780.00
ग. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	1,60,914.14
हाइड्रो (वृहत् और लघु)	51,738.07
सौर	57,705.72
पवन	40,788.03
बायोमास और अन्य	10,682.36
कुल जोड़ (क+ख+ग)	4,03,759.59

घरेलू उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं की विद्युत मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

(ग) : देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की गई थी। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पहले चिह्नित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-318

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी)

318. डॉ. अशोक कुमार मित्तल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) लागू कर रही है और यदि हां, तो अब तक लगाई जा चुकी स्ट्रीट लाइटों के राज्य-वार ब्यौरे सहित इस योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वर्तमान में इस कार्यक्रम को केवल कुछ चुनिंदा राज्यों में ही लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) इस कार्यक्रम के तहत अब तक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलने के लिए एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ अनुबंध करने वाले स्थानीय निकायों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और
- (घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन पर कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 5 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों के साथ बदलने के लिए स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) तैयार किया गया था।

अब तक, एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने संपूर्ण भारत में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीएस) और ग्राम पंचायतों (जीपी) में 1.25 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईईएसएल द्वारा संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है:

(ख) : एसएलएनपी उन राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीएस) में कार्यान्वित किया जा रहा है जिन्होंने ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, ईईएसएल 23 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू कर रहा है। ईईएसएल ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और जब भी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इसे मंजूरी देता है और यूएलबीएस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटों को बदलने का कार्य किया जाता है।

(ग): वर्तमान में, एसएलएनपी के अंतर्गत 1,615 यूएलबीएस ने पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए ईईएसएल के साथ अनुबंध किया है। ऐसे यूएलबीएस का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): एसएलएनपी से अब तक 8.5 बिलियन यूनिट्स की वार्षिक बचत होने का अनुमान है, जो 6800 करोड़ रुपए के बराबर है।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 318 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईईएसएल द्वारा संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	29,47,706
2	अंडमान एवं निकोबार	14,995
3	असम	28,875
4	बिहार	5,66,086
5	चंडीगढ़	46,496
6	छत्तीसगढ़	3,81,199
7	दिल्ली	3,74,961
8	गोवा	2,07,183
9	गुजरात	8,92,624
10	हरियाणा	85,139
11	हिमाचल प्रदेश	62,662
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,55,133
13	झारखंड	5,34,306
14	कर्नाटक	13,226
15	केरल	4,33,979
16	लक्षद्वीप	1,000
17	मध्य प्रदेश	2,17,274
18	महाराष्ट्र	10,69,332
19	ओडिशा	3,44,667
20	पुदुचेरी	1,520
21	पंजाब	1,24,483
22	राजस्थान	10,71,796
23	सिक्किम	1,073
24	तमिलनाडु	7,876
25	तेलंगाना	14,32,279
26	त्रिपुरा	76,426
27	उत्तर प्रदेश	12,63,324
28	उत्तराखंड	1,25,727
29	पश्चिम बंगाल	90,256
	कुल	1,25,71,603

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 318 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित यूएलबीज की संख्या (आज की तारीख के अनुसार)
1.	चंडीगढ़	1
2.	अंडमान एवं निकोबार	1
3.	आंध्र प्रदेश	109
4.	असम	3
5.	बिहार	143
6.	छत्तीसगढ़	168
7.	गोवा	14
8.	गुजरात	148
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	48
11.	जम्मू एवं कश्मीर	2
12.	झारखंड	43
13.	केरल	27
14.	मध्य प्रदेश	6
15.	महाराष्ट्र	355
16.	दिल्ली	1
17.	ओडिशा	109
18.	पंजाब	16
19.	राजस्थान	192
20.	तेलंगाना	143
21.	त्रिपुरा	21
22.	उत्तर प्रदेश	56
23.	उत्तराखंड	2
24.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	1,615

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-319

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति

319. श्री प्रकाश जावडेकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विभिन्न राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों की राज्य-वार वित्तीय स्थिति कैसी है;
- (ख) विद्युत बोर्डों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के क्या कारण हैं; और
- (ग) केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को क्या सलाह दी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रकाशित, वर्ष 2019-20 के लिए 'राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक भारत में वितरण यूटिलिटीयों की राज्य-वार लाभ एवं हानि अनुबंध पर दी गई है।

(ख) : वितरण कंपनियों/विभागों के वित्तीय निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दे प्रचालनात्मक अदक्षताएं और राज्य सरकारों द्वारा देय राशियों का भुगतान नहीं किया जाना हैं। हानियों के कारणों में कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस; टैरिफ में लागत परिलक्षित न होना; खराब बिलिंग एवं संग्रहण दक्षताएं; राज्य सरकार के विभागों द्वारा बिजली की देय राशियों का भुगतान न किया जाना; राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा घोषित सब्सिडियों का भुगतान नहीं किया जाना/कम भुगतान किया जाना शामिल हैं।

(ग) : भारत सरकार ने, सुधार उपायों से जुड़े डिस्कॉमों की वित्तीय एवं प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाने के लिए, लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से जुड़े राज्यों को जीएसडीपी के 0.5% के अतिरिक्त ऋण ग्रहण स्थान; पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) तथा आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त बुद्धिमत्तापूर्ण मानदंड आरंभ करने; और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) सहित अनेक हस्तक्षेप किए हैं। इन सभी उपायों में राज्यों और डिस्कॉमों के लिए निधि स्वीकार्यता उनके द्वारा अपनी प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षताओं में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों की शर्त पर है। इन पहलों को डिस्कॉमों तथा राज्य सरकारों में अपेक्षित वित्तीय अनुशासन लाने के लिए वित्तीय एवं प्रचालनात्मक मामलों से निपटने हेतु डिजाइन किया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 319 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत में वितरण यूटिलिटीयों द्वारा राज्य-वार लाभ हानि - प्राप्त सब्सिडी आधार पर

(करोड़ रुपये में)

राज्य/डिस्काम	(2017-18)	(2018-19)	(2019-20)
राज्य क्षेत्र	(34,387)	(63,329)	(40,715)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	(605)	(645)	(678)
अंडमान एवं निकोबार पीडी	(605)	(645)	(678)
आंध्र प्रदेश	(546)	(16,736)	1,262
एपीईपीडीसीएल	(258)	(5,142)	266
एपीएसपीडीसीएल	(287)	(11,594)	996
अरुणाचल प्रदेश	(429)	(428)	(413)
अरुणाचल पीडी	(429)	(428)	(413)
असम	302	311	390
एपीडीसीएल	302	311	390
बिहार	(1,872)	(1,845)	(2,944)
एनबीपीडीसीएल	(362)	(631)	(804)
एसबीपीडीसीएल	(1,510)	(1,213)	(2,139)
चंडीगढ़	321	54	179
चंडीगढ़ पीडी	321	54	179
छत्तीसगढ़	(726)	(1,528)	(571)
सीएसपीडीसीएल	(726)	(1,528)	(571)
दादरा एवं नगर हवेली	(12)	14	11
डीएनएचपीडीसीएल	(12)	14	11
दमन और दीव	324	164	79
दमन और दीव पीडी	324	164	79
गोवा	26	(172)	(271)
गोवा पीडी	26	(172)	(271)
गुजरात	426	184	538
डीजीवीसीएल	94	39	130
एमजीवीसीएल	93	33	65
पीजीवीसीएल	137	75	227
यूजीवीसीएल	101	37	117
हरियाणा	412	281	331
डीएचबीवीएनएल	134	95	114
यूएचबीवीएनएल	278	186	218
हिमाचल प्रदेश	(44)	132	28
एचपीएसईबीएल	(44)	132	28
जम्मू एवं कश्मीर	(2,999)	(2,902)	(3,460)
जेकेपीडीडी	(2,999)	(2,902)	(3,460)
झारखंड	(212)	(751)	(1,111)
जेबीवीएनएल	(212)	(751)	(1,111)
कर्नाटक	(2,003)	(1,825)	(2,594)
बेसकॉम	(313)	(453)	(267)
चेसकॉम	(247)	(447)	(708)
गोस्कम	(532)	(113)	(957)
हेस्कॉम	(689)	(603)	(610)
मेस्कॉम	(222)	(209)	(52)
केरल	(784)	(135)	(270)
केएसईवीएल	(784)	(135)	(270)
लक्षद्वीप	(98)	(109)	(103)
लक्षद्वीप ईडी	(98)	(109)	(103)
मध्य प्रदेश	(5,191)	(9,390)	(5,028)
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(2,703)	(4,503)	(2,048)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(300)	(1,346)	(227)
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(2,189)	(3,541)	(2,753)
महाराष्ट्र	1,620	2,413	2,321

एमएसईडीसीएल	1,620	2,413	2,321
मणिपुर	(8)	(44)	(9)
एमएसपीडीसीएल	(8)	(44)	(9)
मेघालय	(287)	(203)	(428)
एमईपीडीसीएल	(287)	(203)	(428)
मिजोरम	87	(83)	175
मिजोरम पीडी	87	(83)	175
नागालैंड	(62)	(325)	(488)
नागालैंड पीडी	(62)	(325)	(488)
ओडिशा	(792)	(1,539)	(842)
सीईएसयू	(503)	(429)	(336)
नेस्को यूटीलिटी	(81)	(2)	(141)
साउथको यूटीलिटी	(187)	(211)	(336)
वेस्को यूटीलिटी	(22)	(897)	(29)
पुदुचेरी	5	(39)	(306)
पुदुचेरी पीडी	5	(39)	(306)
पंजाब	(2,618)	363	(975)
पीएसपीसीएल	(2,618)	363	(975)
राजस्थान	686	(524)	(2,551)
एवीवीएनएल	866	(187)	(392)
जेडीवीवीएनएल	(541)	(373)	(2,772)
जेवीवीएनएल	361	37	613
सिक्किम	(29)	(3)	(62)
सिक्किम पीडी	(29)	(3)	(62)
तमिलनाडु	(7,761)	(12,623)	(11,965)
टैजडको	(7,761)	(12,623)	(11,965)
तेलंगाना	(6,387)	(9,020)	(6,966)
टीएसएनपीडीसीएल	(2,333)	(3,805)	(1,801)
टीएसएसपीडीसीएल	(4,054)	(5,215)	(5,165)
त्रिपुरा	28	19	(137)
टीएसईसीएल	28	19	(137)
उत्तर प्रदेश	(5,002)	(5,902)	(3,792)
डीवीवीएनएल	(2,258)	(2,378)	(629)
केस्को	64	(448)	(231)
एमवीवीएनएल	(458)	(806)	(660)
पीएवीवीएनएल	(1,517)	(1,290)	(1,068)
पीयूवीवीएनएल	(833)	(979)	(1,204)
उत्तराखंड	(229)	(553)	(577)
यूपीसीएल	(229)	(553)	(577)
पश्चिम बंगाल	72	60	511
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	72	60	511
निजी क्षेत्र	2,064	2,250	2,622
दिल्ली	507	786	885
बीआरपीएल	142	316	269
बीवाईपीएल	59	135	202
टीपीडीडीएल	306	336	414
गुजरात	574	307	612
टोरेट पावर अहमदाबाद	388	233	482
टोरेट पावर सूरत	185	74	130
महाराष्ट्र		61	50
ईएमएल		61	50
उत्तर प्रदेश	100	140	140
एनपीसीएल	100	140	140
पश्चिम बंगाल	883	956	934
सीईएससी	862	937	918
आईपीसीएल	21	19	17
कुल योग	(32,324)	(61,079)	(38,093)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-320

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात

320. श्री जवाहर सरकार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) किन कारणों से सरकार ने यह निर्णय लिया कि कोयले के आयात में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुभवी उपक्रमों के बजाय किसी प्रकार की विशेषज्ञता न रखने वाली कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को कोयला आयात का एकाधिकार आयातक होना चाहिए;
- (ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिर प्रकृति या कमोडिटी मूल्य निर्धारण का पर्याप्त ज्ञान है और क्या यह अनिश्चित शिपिंग लागत और विदेशी विनिमय दरों को हैंडल कर सकता है; और
- (ग) क्या यह केवल भारतीय या मुख्य रूप से भारतीय कंपनियों के माध्यम से ही आयात करेगा और केवल भारतीय कंपनियां ही क्यों प्रस्ताव दे रही हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : कई राज्यों के अनुरोध के आधार पर, प्रत्येक राज्यों द्वारा कम मात्रा में आयात करने के बजाय, आवश्यकताओं को इकट्ठा करने और ब्लेंडिंग के लिए कोयले का आयात करने हेतु किसी एक केंद्रीय एजेंसी को सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रतिस्पर्धी दर पर पहुंचा जा सके। तदनुसार, सरकार ने कोयला इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के माध्यम से आयात करने का निर्णय लिया और विद्युत उत्पादकों/जेनकोस को ब्लेंडिंग उद्देश्य के लिए आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए उपयुक्त तौर-तरीके तैयार करने की सलाह दी।

सीआईएल ने नियत स्थान आधार पर भाप कोयले के आयात के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। निविदाएं खुली अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर शुरू की गई थीं और भारतीय बोलीदाताओं के साथ-साथ विदेशी मूल के संकाय भागीदारों वाले बोलीदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
